निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 867) पटना वृहस्पतिवार 23 जुलाई 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

22 जुलाई 2026

सं० वि०स०वि०–29/2026–3353 वि०स०—''बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक–22 जुलाई, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश से,
पूनम सिन्हा,
प्रभारी सचिव।

बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026
[वि०स०वि०-21/2026]
बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 20, 2013) में संशोधन करने के लिए विधेयक।

प्रस्तावनाः– चूँकि, बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के प्रावधानों में निजी विश्वविद्यालयों के औपबंधिक संचालन की अवधि को तार्किक रूप से निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

चूँकि, यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 एवं यू.जी.सी. के द्वारा अधिसूचित बिहार निजी विश्वविद्यालय रेगुलेशन, 2003 के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य में स्थापित हो रहे निजी विश्वविद्यालयों को बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में अनुसूची जोड़ते हुए अधिनियम का अंग बनाया जाना आवश्यक है।

इसलिए, भारत गणराज्य के 77वें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम ''**बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026**'' कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 20, 2013 की धारा–5 का संशोधन।–बिहार अधिनियम 20, 2013 की धारा–5 की उप धारा (1) के खंड (iii) के नीचे अंकित परन्तुक को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा–

''परन्तु प्रायोजक निकाय से भूमि, भवन एवं आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में वचनबद्धता प्राप्त होने की स्थिति में राज्य सरकार विचारोपरान्त अधिनियम की धारा–6 के तहत एक शैक्षणिक सत्र के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान कर सकेगी।

परन्तु यह कि एक शैक्षणिक सत्र की अवधि के दौरान यदि प्रायोजक निकाय आशय पत्र में निर्दिष्ट शर्त्तों का अनुपालन करने में विफल रहती है, तो विश्वविद्यालय संचालन की औपबंधिक अनुमति स्वतः समाप्त हो जायेगी।''

3. बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 में अनुसची–1 का जोड़ा जाना।–

(1) बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के अंत में अनुसूची–1 जोड़ते हुए उसमें निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित किया जाएगा।

अनुसूची–1 (धारा–6 देखें)

अनुक्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर	अधिकारिता
01	संदीप विश्वविद्यालय, सिजौल, मधुबनी	संदीप फाउण्डेशन, द्वितीय तल्ला, कोटेश्वर प्लाजा, नेहरू रोड़, मुलुण्ड (प0) मुम्बई–80	संदीप विश्वविद्यालय, सिजौल, मधुबनी पिन–847235	सम्पूर्ण बिहार राज्य
02	के0 के0 विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ	समाजिक कल्याण संस्था, मनोरम नगर, बेकार बाँध, धनबाद पिन–826001	के0के0 विश्वविद्यालय, बेरौटी, नेपुरा, बिहारशरीफ, पिन–803115	सम्पूर्ण बिहार राज्य
03	डॉ0 सी0 वी0 रमण विश्वविद्यालय, वैशाली	ऑल इंडिया सोसाईटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, स्कोप कैम्पस, एन. एच–12, भैरोंपुर (मिसरौड के नजदीक) होसंगाबाद रोड, भोपाल–26	डा0 सी0बी0 रमण विश्वविद्यालय, भगवानपुर, वैशाली(बिहार) पिन–844144	सम्पूर्ण बिहार राज्य
04	अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार	अल–करीम एजुकेशनल ट्रस्ट, आशियाना रोड, बाउज ऑटोमोबाइल के सामने, पटना–14	अल–करीम विश्वविद्यालय, करीम बाग, कटिहार, पिन–854105	संपूर्ण बिहार राज्य
05	माता गुजरी विश्वविद्यालय, किशनगंज	माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं लायंस सेवा केन्द्र हॉस्पीटल, किशनगंज (बिहार) पिन–855107	माता गुजरी विश्वविद्यालय, पूरब पली रोड, किशनगंज (बिहार) पिन–855107	संपूर्ण बिहार राज्य
06	गोपाल नारायण विश्वविद्यालय, जमुहार, सासाराम	देवमंगल मेमोरियल ट्रस्ट, ग्रा०+पो०–जमुहार, जिला–रोहतास, पिन–821305	गोपाल नारायण विश्वविद्यालय, जमुहार, सासाराम	संपूर्ण बिहार राज्य

अनुक्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम	विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर	अधिकारिता
07	जेवियर विश्वविद्यालय, दीघा घाट, पटना	जेवियर टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, दीघा घाट, पटना	जेवियर विश्वविद्यालय, दीघा आशियाना रोड, दीघा घाट, पो०+थाना–दीघा, पटना–11	संपूर्ण बिहार राज्य
08	हिमालय विश्वविद्यालय, पालीगंज, पटना	हिमालय एजुकेशनल ट्रस्ट, लोहियानगर, कंकडबाग, पटना	हिमालय विश्वविद्यालय, पालीगंज, पटना	संपूर्ण बिहार राज्य
09	वी0वी0 गिरी विश्वविद्यालय, दरौंधा, सीवान	अम्बेदकर इंस्टीच्यूट ऑफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट, छितनावाँ, दानापुर, पटना–801503	वी0वी0 गिरी विश्वविद्यालय, दरौंधा, सीवान	संपूर्ण बिहार राज्य
10	सीतयोग विश्वविद्यालय, जसोईया मोड़, औरंगाबाद, बिहार	सीतयोग एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, जी–1, कुंती विला अपार्टमेंट, (पूनम गैस गोदाम के नजदीक) अंबेदकर पथ, खाजपुरा, पटना	सीतयोग विश्वविद्यालय, जसोईया मोड़, औरंगाबाद, बिहार	संपूर्ण बिहार राज्य
11	एस०ए० विश्वविद्यालय, अशोक नगर, नवादा, बिहार	एस०ए० फाउंडेशन, श्री कृष्णापुरी, न्यू एरिया, नवादा (पो०+थाना+जिला – नवादा, पिन–805110)	एस०ए० विश्वविद्यालय, अशोक नगर, नवादा, बिहार	संपूर्ण बिहार राज्य

उद्देश्य एवं हेतु

राज्य में निजी विश्वविद्यालयों के औपबंधिक संचालन की अवधि को तार्किक रूप से निर्धारित करने हेतु बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम, 20, 2013) के धारा–5 के उप धारा–(1) के खंड–(iii) के परन्तुक में संशोधन किया जाना आवश्यक है। इसके साथ–साथ यू.जी.सी. के प्रावधानों के अनुपालन में राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों को बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में अनुसूची जोड़ते हुए अधिनियम का अंग बनाया जाना भी आवश्यक है।

बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 (बिहार अधिनियम 20, 2013) की धारा–5 की उप धारा (1) के खंड–(iii) के परंतुक में संशोधन तथा अधिनियम में अनुसूची–1 जोड़ा जाना ही इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(संजय सिंह 'टाईगर')
भार–साधक सदस्य,

पटना,
दिनांक–22.07.2026

प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 867-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in